

## INDEX

<i>Chapter</i>	<i>Subject</i>	<i>Pages</i>
1.	INTRODUCTION.	1-2
2.	SALIENT FEATURES OF THE RTI ACT, 2005.	3—7
3.	RULES FRAMED UNDER THE ACT.	8—10
4.	IMPLEMENTATION OF THE ACT.	11—18
5.	OBSERVATIONS & RECOMMENDATIONS.	19—24

## CHAPTER-1

### INTRODUCTION

The Right to Information and Open Government are considered two of the most important and imperative attributes of liberal democratic countries. In recent years, there has been a global trend towards recognition of the right to information by all stake holders – governments, non-governmental organizations civil society and the common masses. Information is a powerful instrument in the hands of common people to strengthen the roots of democracy in the country. Access to information can empower the poor and the weaker sections of society to demand and get information about public policies and their implementation by government agencies leading to their welfare.

2. Realising that the right to information is a basic necessity of good governance, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005. The Act came into force on 12<sup>th</sup> October, 2005 (120<sup>th</sup> day of its enactment on 15<sup>th</sup> June, 2005). However, certain provisions of the Act pertaining to obligations of public authorities, designating Public Information Officers/ Assistant Public Information Officers, constitution of Central Information Commission and State Information Commissions and power to make rules under the Act came into force with immediate effect *i.e.* from 15<sup>th</sup> June, 2005. The Act has a comprehensive reach and covers a wide spectrum of bodies like the Central Government, State Governments, Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies, other Bodies established, constituted, owned, controlled or substantially financed by governments including non-governmental organizations. Access to information under this Act is extensive with minimum exemptions which are also subject to strict safeguards.

3. The Himachal Pradesh State Information Commission was constituted by the State Government on 4<sup>th</sup> February, 2006 in exercise of powers conferred by sub-section(1) of section 15 of the Right to Information Act, 2005. The Commission started functioning from 1<sup>st</sup> March, 2006 with headquarters at Shimla (Room No. 222, Armsdale Building, H.P. Secretariat) after Shri P.S. Rana assumed the office of State Chief Information Commissioner, Himachal Pradesh on that date. Prior to assuming the office of State Chief Information Commissioner, Shri Rana, an officer of the Indian Administrative Service (1970 batch - Himachal Pradesh Cadre), was serving as Secretary to the Government of India in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Sardar Patel Bhawan, New Delhi.

4. The State Information Commission has been empowered by the Act to receive and inquire into complaints relating to access to information under the control of public authorities, including imposing penalties on the erring Public Information Officers and recommending disciplinary action against them. The Commission is also empowered to deal with and dispose of appeals against decisions of the designated appellate authorities. The Commission may also make recommendations to public authorities not conforming with the letter and spirit of the provisions of the Act specifying the steps to be taken for promoting such conformity. At the end of each year, the Commission is required to prepare a report on the implementation of the provisions of the Act during the year and forward a copy thereof to the State Government for laying the same before the State Legislative Assembly.

## CHAPTER-2

### **SALIENT FEATURES OF THE RTI ACT, 2005**

The Right to Information Act, 2005 has emerged out of the umbrella of right of speech and expression and right to life and directly affects the governance system in the country. This Act mandates a legal-institutional framework for setting out a practical regime of right to information for every citizen of secure access to information under the control of public authorities. It is a path breaking legislation empowering people and promoting transparency and accountability in the working of public authorities. It prescribes mandatory disclosure of information to citizens, and designation of adequate member of Public Information Officers (PIOs) and Assistant Public Information Officers (APIOs) by all public authorities to attend to requests from citizens for information within stipulated time limits. The Act also provides for appeal to officers senior in rank to Public Information Officers against the decisions of PIOs. It also mandates the constitution of a Central Information Commission (CIC) and State Information Commissions (SICs) to inquire into complaints, hear second appeals, and guide implementation of the Act. Some of the salient features of the Act are given in subsequent paras.

#### **Access to Information.**

2. Access to information under the Act is extensive with minimum exemptions. The Act provides that any person can seek any information from any public authority without specifying any reason for seeking the desired information. Further, information can be denied only under exemptions provided in the Act itself. Public authorities are bodies established, constituted, owned, controlled or substantially financed by government including non-governmental organizations. The Act, therefore, has very extensive coverage.

### **Record management and voluntary disclosure of information.**

3. The Act envisages computerization of records by the public authorities within a reasonable time and voluntary disclosure of information on various aspects of their functioning within 120 days from the date of enactment. The voluntary disclosure is required to be updated each year. This may necessitate a critical review of the existing record management practices and retention schedules for different categories of records. It may also call for changes in the legal framework for record management.

### **PIOs, APIOs and Appellate Authorities.**

4. The public authorities are required to designate adequate number of Public Information Officers to provide information to persons requesting for the same. They are also required to designate Assistant Public Information Officers at sub-divisional or sub-district level to receive applications and forward them to the Public Information Officers to ensure that the public can apply to the officers in their own local areas without the need for travelling long distances to the offices of the Public Information Officers. The public authorities are also required to designate appellate authorities under section 19 of the Act.

### **Reasoned orders by PIOs/Appellate Authorities.**

5. The Act envisages that the Public Information Officers have to issue reasoned communications while providing requisite information or rejecting requests of applicants. Such communications should clearly state the position to the applicants and enable the Appellate Authorities to identify the cause for rejection of their requests or basis for determination of additional fee to be paid for furnishing the desired information. Similarly,

the Appellate Authorities are also required to pass well reasoned and speaking orders.

### **Disposal of requests within specified time limits.**

6. The Act requires that the information sought by an applicant shall be furnished by the PIO within specified time limits varying from 30 days to 45 days depending on certain exigencies. In case, the subject matter of the request of an applicant made to any public authority pertains to another public authority, the same shall be transferred to that other authority within 5 days from the date of receipt of the application. The other public authority will be subject to time limit for disposal from the date of receipt of the application. The Appellate Authority have also to dispose off appeals within specified time limits.

### **Information Commissions.**

7. The RTI Act, 2005 provides for the constitution of the Central Information Commission and State Information Commissions respectively to exercise powers conferred by the Act. Each Commission functions as an autonomous body exercising the powers conferred on it, and performing the functions assigned to it under the Act. The general superintendence, direction and management of the affairs of the Commission vest in the Chief Information Commissioner. While enquiring into complaints under the Act, the Commission has been empowered to exercise the powers of a civil court for attendance of persons and production of records etc. The setting up of these Commissions to ensure effective implementation of right to information regime in the country is one of the most important features of the Act.

### **Imposition of penalty.**

8. The Act envisages that the Commission, while deciding a complaint or appeal, shall impose penalty @ Rs.250/- per day subject to a maximum of Rs.25,000/- on erring PIOs in cases where the PIO has, without any reasonable cause:—

- refused to receive an application for information or
- has not furnished information within the time specified or
- malafidely denied the request for information or
- knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or
- destroyed information which was the subject of the request or
- obstructed in any manner in furnishing the information.

In certain cases, the Commission can recommend disciplinary action against an erring Public Information Officer.

### **Power to make rules.**

9. The Act empowers appropriate Governments and other competent authorities to make rules for carrying out the provisions of the Act.

### **Overriding effect of the Act.**

10. The Act provides that its provisions shall have effect notwithstanding anything inconsistency therewith contained in the Official

Secrets Act, 1923, and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

**Bar of jurisdiction of courts.**

11. Section 23 of the Act envisages that no court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

**Monitoring and reporting.**

12. As per provisions of section 25 of the Act, the State Information Commission, at the end of each year, has to prepare an Annual Report on the implementation of the Act during the year. The Annual Report is required to be forwarded to the State Government for laying the same before the State Legislative Assembly.



## CHAPTER – 3

### **RULES FRAMED UNDER THE ACT**

The RTI Act, 2005 provides a primary tool in the hands of each and every citizen to knock at the door of every public authority for accessing any information without specifying the reasons for accessing it. In order to carry out smooth and effective implementation of the provisions of this Act, the State Government and other competent authorities in Himachal Pradesh have notified their rules. The **“Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, 2006”** were notified on 15<sup>th</sup> June, 2006 and **“The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005”** were notified on 30<sup>th</sup> November, 2005. **The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006** were notified by the State Government on 21<sup>st</sup> January, 2006. These rules came into force on the date of their publication in the official Gazette. The salient features of these rules are given in subsequent paras.

2. These rules provide that any person seeking information or seeking to inspect the record shall make an application on prescribed format to the designated Public Information Officer/Assistant Public Information Officer of the public authority concerned, accompanied by the proof of payment of prescribed fee. A person belonging to Below Poverty Line (BPL) category is not required to pay any fee for seeking the desired information or for inspection of any record.

3. The rules prescribe that a separate application is required to be filed by an applicant for seeking information in respect of each subject and in respect of each year. Any additional fee required to be paid by an

applicant shall be communicated to him/her by the Public Information Officer concerned from whose office the information is being solicited.

4. The rules also provide that every page of information supplied shall be duly authenticated giving the name of the applicant and shall bear the dated signatures and seal of the supplying officer.

5. The rules prescribe following rates of fee to be charged for furnishing the documents and for inspection of documents:—

Sr. No.	Description of information	Price/Fee in rupees.
1	Fee alongwith application.	Rs.10 per application.
2	Where the information is available in the form of a priced publication.	On printed price.
3	For other than priced publication.	Rs.10 per page of A-4 size or smaller and actual cost subject to minimum of Rs.20 per page in case of larger size.
4	Where information is available in electronic form and is to be supplied in electronics form e.g. Floppy, CD etc.	Rupees 50 per floppy and Rs.100 per CD.
5	Fee for inspection of Record/document.	Rs.10 per 15 minutes or fraction thereof.

6. The fee/charges shall be deposited in a government treasury under the head of account “**0070-OAS, 60-OS, 800-OR, 11 – Receipt head under Right to Information Act, 2005**”. However, a subsequent

amendment of the rules has permitted payment of prescribed fee through Demand Drafts payable to the department/public authority concerned. Accruals into this head are intended to be utilized for furthering the purposes of the Act including purchases of equipment and consumables, providing training to staff etc.

7. The rules lay down the procedure for filing appeal before the Appellate Authority designated by the public authority concerned and before the State Information Commission. The memorandum of appeal shall contain name & address of the appellant as well as that of the Public Information Officer against whose decision the appeal is preferred along with particulars of the Order against which the appeal is preferred and brief facts leading to the appeal. If the appeal is preferred against deemed refusal, the particulars of the application, including number & date, name & address of the Public Information Officer to whom the application was made, shall have to be indicated by the appellant. The appellant shall also specify prayer or relief sought, and ground for the prayer or relief along with verification by the appellant.

8. The Appellate Authority or the State Information Commission may decide the appeal ex-parte on merit in case parties are not present in person on the date of hearing. The appellant shall not urge nor be heard in support of any ground of objection which has not been set forth in the memorandum. But in deciding the appeal, the Appellate Authority/Commission need not confine itself to the grounds set forth in the memorandum. The rules also provide that the Commission may frame regulations in respect of its day-to-day proceedings.

## CHAPTER-4

### IMPLEMENTATION OF THE ACT

The State Information Commission was constituted by the State Government on 4<sup>th</sup> February, 2006. It started functioning *w.e.f.* 1<sup>st</sup> March, 2006 with headquarters at Shimla with the State Chief Information Commissioner making and subscribing to the oath of office on that date. The Commission was provided office space in the Armsdale Building of the State Secretariat and was provided all the necessary facilities during the year by the Secretariat Administration of the State Government.

2. During the period from 1.3.2006 to 31.3.2006, the State Information Commission received 20 applications / representations from applicants residing in the following seven districts:—

Sr. No.	District	No. of applications / representations
1.	Hamirpur	3
2.	Kangra	4
3.	Mandi	1
4.	Shimla	5
5.	Solan	4
6.	Sirmour	2
7.	Una	1
	<b>Total</b>	<b>20</b>

These applications / representations were forwarded to the public authorities concerned for processing as per provisions of the RTI Act, 2005

and HP RTI Rules, 2006. The public authorities have since taken appropriate action on all these representations/applications.

3. No appeal was filed by any person before the Commission during the period under report. No penalty was levied on any Public Information Officer and no disciplinary action was recommended against any PIO during the period.

4. Twenty two public authorities received 106 applications under the Act during the year ending on 31.3.2006. Of these, 26 had been decided before 31<sup>st</sup> March, 2006. Other public authorities did not receive any application. Only one appeal was received in the Home Department in the month of March, 2006 and was pending on 31.3.2006. A fee of Rs.7344/- was collected by various public authorities during the year. The details of applications, appeals, fee collected etc. are as under:—

Sr. No.	Name of Department / Public Authority.	No. of Requests received.	No. of Decisions.	No. of 1 <sup>st</sup> Appeal.	Appeals referred to SIC.	Fee Collected in Rs.
1.	Public Works	3	-	-	-	80.00
2.	Home	7	2	1	-	1100.00
3.	Personnel Administration	3	-	-	-	-
4.	Agriculture	4	2	-	-	766.00
5.	Secretariat Administration	1	1	-	-	10.00
6.	Pollution Control Board	1	-	-	-	10.00
7.	Registrar of Cooperative Societies.	3	1	-	-	210.00
8.	Industries	14	6	-	-	1660.00

9.	Lokayukta & Human Rights Commission.	2	-	-	-	20.00
10.	Public Service Commission	14	8	-	-	90.00
11.	Rural Development	1	-	-	-	-
12.	Sainik Welfare	1	-	-	-	164.00
13.	Tribal Development.	13	-	-	-	1806.00
14.	Vocational & Industrial Training (TE), Sunder Nagar	1	1	-	-	-
15.	Housing and Urban Development	7	-	-	-	20.00
16.	Deputy Commissioner Una	2	2	-	-	-
17.	Revenue Department	16	1	-	-	795.00
18.	Ayurveda	1	1	-	-	-
19.	Deputy Commissioner, Solan	3	-	-	-	155.00
20.	Town and Country Planning	5	-	-	-	378.00
21.	Planning Department	1	-	-	-	-
22.	HPSEB	3	1	-	-	80
	<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>7344.00</b>

5. As per provisions of section 4(1)(b), each public authority was required to make voluntary disclosure on various aspects of its working within 120 days of the coming into force of the Act i.e. by 12<sup>th</sup> October, 2005. However, only 24 public authorities could make such disclosure till the end of the financial year. Other public authorities were in the process of finalising the disclosures as envisaged in this section of the Act. The

public authorities who have made voluntary disclosure upto 31.3.2006 under this section are as under:—

Sr.No.	Name of the Public Authority	Date of Disclosure
1	H.P. Secretariat (Secretariat Administration)	07.10.2005
2	H.P. Secretariat (General Administration)	11.10.2005
3	Hospitality & Protocol Department	11.10.2005
4	Sainik Welfare Department	11.10.2005
5	Fire Services Department	09.12.2005
6	State Co-operative Societies Department	26.11.2005
7	Fisheries Department	29.10.2005
8	Animal Husbandry Department	06.12.2005
9	Horticulture Department	31.03.2006
10	Town & Country Planning Department	16.01.2006
11	Tribal Development Department	06.10.2005
12	Economics & Statistics Department	19.10.2005
13	Elementary Education Department	07.10.2005
14	Higher Education Department	07.10.2005
15	Electrical Inspectorate	17.12.2005
16	HP Administrative Tribunal	07.02.2006
17	HP State Consumer Disputes Redressal Commission	26.10.2005
18	HP Electricity Regulatory Commission	08.11.2005
19	HP Co-operative Wool Procurement & Marketing Federation Ltd.	22.12.2005
20	HP State Co-operative Milk Producers Federation	07.02.2006
21	Divisional Commissioner, Shimla	11.10.2005
22	Divisional Commissioner, Mandi	10.02.2006
23	Divisional Commissioner, Kangra	18.11.2005
24	Deputy Commissioner, Shimla	30.12.2005

6. As required in sections 5 and 19 of the Act, the public authorities were required to designate Public Information Officers, Assistant Public Information Officers and Appellate Authorities within 100 days of the coming into force of the Act. As per reports received from the public authorities, 64 public authorities had designated the PIOs, APIOs, and Appellate Authorities before the end of the year. Other public authorities were in the process of designating the PIOs / APIOs/ Appellate Authorities. The public authorities who had designated PIOs / APIOs/ Appellate Authorities before the end of the year are as under:—

Sr.No.	Name of the Public Authority	Date of Designation
1	Governor's Secretariat	06.12.2005
2	HP Secretariat (Public Works)	11.10.2005
3	HP Secretariat (Revenue)	06.10.2005
4	HP Secretariat (Secretariat Administration)	07.10.2005
5	HP Secretariat (General Administration)	11.10.2005
6	HP Secretariat (Irrigation & Public Health)	07.10.2005
7	Hospitality & Protocol Department	06.10.2005
8	Office of Advocate General	24.10.2005
9	Excise & Taxation Department	03.11.2005
10	Food & Civil Supplies Department	24.10.2005
11	Urban Development Department	29.09.2005
12	Animal Husbandry Department	06.12.2005
13	Fisheries Department	28.09.2005
14	Horticulture Department	04.10.2005
15	Forest Department	20.12.2005
16	Forest Department (CCF Wildlife)	20.03.2006
17	Panchayati Raj Department	26.11.2005
18	Town & Country Planning Department	07.11.2005
19	Youth Services & Sports Department	10.11.2005



S.No.	Name of the Public Authority	Date of Designation
20	Election Department	31.10.2005
21	Revenue Department	06.10.2005
22	Deptt. of Indian System of Medicine	15.10.2005
23	Education Department	07.10.2005
24	Technical Education Department	31.10.2005
25	Elementary Education Department	07.10.2005
26	Fire Services Department	09.12.2005
27	Co-operative Societies Department	03.10.2005
28	Economics & Statistics Department	26.09.2005
29	Tribal Development Department	06.10.2005
30	Public Works Department	28.09.2005
31	HIMURJA	29.10.2005
32	Settlement Office	07.10.2005
33	District Gazetteers	06.12.2005
34	Electrical Inspectorate	17.11.2005
35	Enforcement Department	21.10.2005
36	Vigilance Department	01.10.2005
37	Jail & Prison Department	24.10.2005
38	Directorate of Prosecution	27.09.2005
39	Directorate of Small Savings	01.10.2005
40	Directorate of Land Records	08.02.2006
41	Directorate of Mountaineering	23.12.2005
42	HP Public Service Commission	19.01.2006
43	HP Administrative Tribunal	04.02.2006
44	HP State Electricity Regulatory Commission	08.11.2005
45	HP State Commission for Women	17.12.2005
46	HP State Consumer Disputes Redressal Commission	17.12.2005

S.No.	Name of the Public Authority	Date of Designation
47	H.P. State Electricity Board	26.09.2005
48	HP State Agriculture Marketing Board	07.12.2005
49	HP SSS Board	09.11.2005
50	HPMC	27.09.2005
51	Himachal Road Transport Corporation	05.12.2005
52	HP SCs & STs Development Corporation	31.10.2005
53	HP Minorities Fin. & Dev. Corporation	07.10.2005
54	HP Backward Classes Financial & Dev. Corp.	27.12.2005
55	HP Agro Ind. Corp.	29.10.2005
56	HP State Co-operative Milk Fed.	07.02.2006
57	HP Wool Federation, Shimla	22.12.2005
58	Himachal Pradesh University, Shimla	15.10.2005
59	Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan	03.03.2006
60	C.S.K. H.P. Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur	09.02.2006
61	Deputy Commissioner Shimla	30.12.2005
62	Deputy Commissioner Mandi	13.10.2005
63	Deputy Commissioner Kangra	11.10.2005
64	Deputy Commissioner Hamirpur	20.03.2006

7. Sub-section (1) of section 26 of the Act envisages that the State Government would, to the extent of availability of financial and other resources:—

- a) develop and organize educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

- b) encourage public authorities to participate in the development and organization of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;
- c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and
- d) train Public Information Officers and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

8. Pursuant to the above provisions of the Act, the Himachal Pradesh Institute of Public Administration conducted four training programmes for PIOs/ APIOs and other officers of the State Government, up to 31.3.2006. A State Level Workshop was also organized in the State Secretariat for Administrative Secretaries, Heads of Departments and others on 1.12.2005. However, the State Government is still to take action on various provisions of sub-section(1) of section 26 of the Act especially for advancing the understanding of the public as to how to exercise the rights contemplated under the Act and production of relevant training materials for use by the public authority.

## CHAPTER – 5

### **OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS**

As mentioned earlier in this report, the Right to Information Act, 2005 came into force on 12<sup>th</sup> October, 2005. However, certain provisions of the Act including the power to make rules came into force w.e.f. 15 June, 2005. Consequently, exercising the powers under the Act, the State Government and other Competent Authorities notified three sets of rules for implementing various provisions of the Act. The Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 were notified by the State Government on 21<sup>st</sup> January, 2006. The High Court of Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2005 were notified on 30<sup>th</sup> November, 2005 and the Himachal Vidhan Sabha Secretariat Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006 were notified on 15<sup>th</sup> June, 2006. The State Information Commission was constituted by the State Government on 4<sup>th</sup> February, 2006 which started functioning from 1.3.2006. The delay in notification of the Rules prescribing the rates of fee to be paid under the Act may be one of the causes for filing of only a few applications under the RTI Act, 2005. Lack of adequate publicity about the provisions of the Act could also be one of the factors for smaller number of applications filed under the Act.

2. The Commission observed that lack of awareness about provisions of the Act and the Rules amongst PIOs / APIOs led to delay, in some cases, in furnishing the information to the applicants. During the year, the Himachal Pradesh Institute of Public Administration had conducted four training programmes for apprising the PIOs and APIOs about various provisions of the Act and the Rules. However, these programmes could cover only a small percentage of the PIOs / APIOs in the State. In view of the large number of PIOs / APIOs and Appellate

Authorities, the training facilities available at HIPA may not be adequate to train all these officers before the end of the financial year 2006-2007. Hence it is necessary that other Training Institutions in the State are also involved in conducting training programmes covering the Act and the Rules for these functionaries. Further, in order to increase general awareness about various provisions of the Act and the Rules thereunder, one training session can be devoted towards the Act and the Rules in all the Training Programmes especially those meant for elected representatives of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) being conducted by various Training Institutions in the State. This step is expected to spread awareness about the RTI Act, 2005 and the Rules thereunder amongst the general public in the State through the elected representatives of PRIs and ULBs. However, in the absence of adequate financial support, these Training Institutions including HIPA would find it difficult to conduct such training programmes. Hence the State Government should provide funds to HIPA and other Training Institutions for imparting necessary training to the PIOs / APIOs and the Appellate Authorities within a specified time frame so that these functionaries are properly equipped to process applications received under the RTI Act, 2005 within the period prescribed under the Act.

3. During the period covered in this report, the implementation of the provision relating to designation of PIOs / APIOs / Appellate Authorities by various public authorities under Sections 5 and 19 of the Act has been satisfactory to some extent. But the implementation of the provision pertaining to voluntary disclosure as envisaged in section 4(1)(b) of the Act has not been very satisfactory. The Government should, therefore, take necessary steps to ensure the completion of the updated voluntary disclosure work during the current year i.e. before 31.3.2007. It may also be ensured that every public authority in the State has designated

adequate number of PIOs / APIOs and Appellate Authorities as per provisions of the Act.

4. It has come to the notice of the Commission that a number of field offices of a public authority do not have the list of PIOs / APIOs designated by that public authority. Consequently, the applicants have to contact the district level offices or the state level offices of these authorities and sometimes the office of the State Information Commission to know the names of the PIOs / APIOs for filing applications under the Act. The public authorities may, therefore, ensure that its field offices have complete details of the designated PIOs / APIOs/ Appellate Authorities. The departments / public authorities, having larger public interface, should ensure that these details in respect of a district are available on a notice board at its district level office.

5. It has been brought to the notice of the Commission that payment of prescribed fee under the Act through treasury challans is quite cumbersome and time consuming. The subsequent order of the State Government authorising payment of fee through demand draft has eased the situation. However, the high cost of a demand draft of Rs 10/- is being pointed out to the authorities by the applicants. The State Government may, therefore, consider payment of prescribed fee in cash or at least through Indian Postal Orders. The State Government may also consider issuing orders to enable the Drawing and Disbursing Officer (DDO) of a field office of a department/public authority to sign on the treasury challans in cases pertaining to other departments and public authorities who are not having a DDO at that station. This step is expected to provide relief to the applicants especially those residing in remote areas.

6. The fee for inspection of record/ document has been prescribed as Rs. 10/- per 15 minutes of inspection or fraction thereof in

the notified Rules. Representations have been received from the public that the fee prescribed for inspection is on the higher side especially in view the rates prescribed by Government of India. The rate of inspection of record / document prescribed by the State Government works out to be Rs. 40/- for one hour of inspection as against Rs. 5/- being charged in the Central Government. For a meaningful inspection, there seems to be adequate justification for reviewing this provision. It is, therefore, recommended that the duration of inspection may be increased to at least 30 minutes or fraction thereof, from the present duration of 15 minutes or fraction thereof.

7. Section 4(1) (a) of the Act stipulates that every public authority shall:—

- maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under the Act; and
- ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated.

The above provision of the Act may necessitate a critical review of the existing record management practices, record retention schedules for different categories of records and systems of indexing and numbering of records in public authorities. It may also call for changes in legal framework for record management, especially with regard to the creation and deletion of electronic records. Proper cataloguing and indexing of records is critically important for implementing various provisions of the Act

pertaining to access to information under the RTI Act, 2005 by the citizens of the country. The State Government may, therefore, take necessary steps including provision of adequate funds for computerising the records that are appropriate to be computerised and connecting them through a network all over the State in a phased manner within a specified time frame.

8. The public authorities are required to submit periodic returns as well as reports to the Department of Administrative Reforms in the State Government and the State Information Commission. In order to submit these returns and reports in time, a public authority will have to collect the information on prescribed formats from a number of PIOs and APIOs located in its field offices. This definitely necessitates the assignment of this work to a Nodal officer at the headquarters of the public authority. The institution of designating an officer as the Nodal officer is also expected to ensure a uniform approach by all the PIOs in processing applications received under the Act. It is also expected to ensure better coordination with the Administrative Department of the public authority, the Department of Administrative Reforms (the Nodal Department for RTI Act, 2005) and the State Information Commission. It would, therefore, be appropriate to designate an officer at the headquarters of a public authority as a Nodal Officer for implementing the provisions of the Right to Information Act, 2005. For departments / public authorities having a large number of PIOs and APIOs, a cell may also be constituted at the headquarters of the departments/public authorities concerned to assist the Nodal officer.

9. The sub section (1) of section 26 of the RTI Act, 2005 places certain responsibilities upon the State Government for propagating various provisions of the Act among the general public. The State Government is required to develop and organize educational programmes to advance the



understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under the Act. The State Government is also required to promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities. The training of PIOs and production of relevant training material is also the responsibility of the State Government. It is, therefore, recommended that a time bound action plan may be drawn up by the State Government to implement the above provisions of section 26 of the Act.

## सूचक

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1-2
2.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं	3-7
3.	अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम	8-10
4.	अधिनियम का कार्यान्वयन	11-18
5.	प्रेक्षण एवं संस्तुतियां	19-23

## अध्याय –1

### प्रस्तावना

सूचना का अधिकार तथा पारदर्शी सरकार, उदार प्रजातान्त्रिक राष्ट्रों की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है। हाल ही के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों तथा आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। किसी भी राष्ट्र में प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए आम जनता के पास सूचना का होना एक सशक्त हथियार है। समाज के गरीब तथा कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु बनाई गई सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज को सशक्त किया जा सकता है।

2. इस तथ्य को महसूस करते हुए कि सूचना का अधिकार अच्छी सरकार की एक मौलिक आवश्यकता है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 (15 जून, 2005 को अधिसूचित किए जाने के 120वें दिन) को लागू हुआ तथापि सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों को नामित करना, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन, अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्तियां इत्यादि से सम्बन्धित अधिनियम के कुछ प्रावधान 15 जून, 2005 से ही लागू हो गए थे। अधिनियम का फलक व्यापक है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं तथा स्थानीय शहरी निकाय, अन्य निकाये जो सरकार के स्वामित्व में या सरकार द्वारा स्थापित, गठित, नियन्त्रित अथवा वित्तोपोषित गैर सरकारी संगठनों सहित शामिल हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने का व्यापक प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम छूट, वह भी कड़े रक्षोपाय की शर्त पर प्रावधानित है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 को हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रथम मार्च, 2006 से अपने मुख्यालय शिमला (कमरा न. 222, आर्मजडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय) में अपना कार्य आरम्भ किया। श्री प्रेम सिंह राणा ने इस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार संभालने से पूर्व श्री राणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (1970 बैच— हिमाचल प्रदेश संवर्ग) के अधिकारी, भारत सरकार में सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में सचिव के पद पर कार्यरत थे।

4. राज्य सूचना आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायतों को प्राप्त तथा उनकी जांच करने का अधिकार दिया गया है साथ ही दोषी सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को दंड देने तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्तुत करने के भी अधिकार दिये गये हैं। आयोग को नामित अपील प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपीलों के निपटान का भी अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयोग उन सार्वजनिक प्राधिकरणों को जो अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन न कर रहीं हों, ऐसी संस्तुतियां कर सकेगा जो इन प्राधिकरणों को अधिनियम के समरूप बनाए जाने हेतु आवश्यक हो। प्रत्येक वर्ष के अन्त पर आयोग द्वारा उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसकी एक प्रति राज्य सरकार को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु भेजनी होगी।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को बोलने के अधिकार तथा जीवनयापन के अधिकार के आधार पर तैयार किया गया है जिसका देश में शासन व्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह अधिनियम प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधीन, सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु एक वैद्य संस्थागत रूपरेखा को व्यवहार्य बनाता है। आम जनता को सशक्त बनाने तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायिता के दृष्टिगत यह एक मार्गदर्शक विधान है। इस अधिनियम में, नागरिकों को सूचना से अवगत करवाना तथा सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रयाप्त मात्रा में सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (पी.आई.ओ.) तथा सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (ए.पी.आई.ओ.) को पदनामित करने का प्रावधान है ताकि सूचना से सम्बन्धित जनता के आवेदनों पर निश्चित समय अवधि के भीतर विचार किया जा सके। अधिनियम में सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों को अपील करने का भी प्रावधान है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन भी अनिवार्य है ताकि शिकायतों की जांच, दूसरी अपील की सुनवाई, तथा अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन भी हो सके। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं आगामी पैरा में दी गई हैं।

### सूचना तक पहुंच

2. इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच का व्यापक प्रावधान है जिसमें न्यूनतम छूट भी प्रावधानित है। अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, किसी कारण का उल्लेख किये बिना, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। अधिनियम के अन्तर्गत छूट के प्रावधान के तहत ही सूचना देने के लिए इनकार किया जा सकता है। स्थापित, गठित, स्वामित्व में, नियन्त्रित अथवा सरकार द्वारा वित्तपोषित (गैर-सरकारी संगठनों सहित) सभी निकाय सार्वजनिक प्राधिकरणों में शामिल हैं। इस प्रकार अधिनियम का फलक बहुत व्यापक है।

## रिकॉर्ड प्रबन्धन तथा सूचना का स्वैच्छिक प्रकटीकरण

3. इस अधिनियम में प्रावधान है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उपयुक्त समय अवधि के भीतर सभी रिकॉर्ड कॅम्प्यूटरीकृत किया जाए तथा अधिसूचना तिथि से 120 दिनों के भीतर अपनी विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी सूचना का स्वैच्छिक प्रकटीकरण किया जाये। स्वैच्छिक प्रकटीकरण को प्रति वर्ष अद्यतन करने का भी प्रावधान है। ऐसा करने से रिकॉर्ड प्रबन्धन पद्धति का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक होगा तथा विभिन्न वर्गीय रिकॉर्ड को संचित रखने सम्बन्धी पुनिरीक्षण भी आवश्यक होगा। इससे रिकॉर्ड प्रबन्धन सम्बन्धी वैद्य रूपरेखा में परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।

## पी.आई.ओ., ए.पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारी

4. सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जनता को अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक सूचना अधिकारी पदनामित किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में है। उन द्वारा सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी भी उप-मण्डल अथवा उप-जिला स्तर पर पदनामित किया जाना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को सूचना सम्बन्धी अपने आवेदन सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को देने के लिए लम्बी दूरियां तय न करनी पड़े। उनके आवेदन सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे और वे उन्हें सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को भेजने के लिये उत्तरदायी होंगे। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी भी पदनामित किए जाने का भी प्रावधान है।

## पी.आई.ओ./अपील प्राधिकारी द्वारा तर्कसंगत आदेश

5. आवेदकों के आवेदनों को रद्द करने अथवा आवेदकों को अपेक्षित सूचना प्रदान करते समय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा तर्कसंगत आदेश जारी किए जाने का अधिनियम में प्रावधान है। ऐसे आदेशों में आवेदक को मामले की स्थिति स्पष्ट की जाएगी ताकि अपील प्राधिकारी आवेदन को रद्द करने के कारण को जान सके अथवा अपेक्षित शुल्क के आधार से भी अवगत हो सके। इसी प्रकार अपील प्राधिकारियों द्वारा भी स्पष्ट तथा तर्कसंगत आदेश जारी करना आवश्यक होगा।

## आवेदनों का सुनिश्चित समयावधि के भीतर निपटान

6. इस अधिनियम की अपेक्षा है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सुनिश्चित समय सीमा के भीतर प्रदान करें। समय सीमा आवश्यकतानुसार 30 से 45 दिन तक हो सकती है। यदि आवेदन किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से सम्बन्धित हो तो प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर आवेदन सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तान्तरित किया जाएगा। सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी के लिए मामले के निपटान हेतु समय सीमा आवेदन प्राप्ति की तिथि से आरम्भ होगी। अपील प्राधिकारियों द्वारा भी अपीलों का निपटान सुनिश्चित समय अवधि के भीतर किया जाएगा।

## सूचना आयोग

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु क्रमशः केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाए। प्रत्येक आयोग एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में कार्य करेगा और इसे दी हुई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा नियम के अन्तर्गत इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा। आयोग के क्रिया-कलापों सम्बन्धी सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा प्रबन्धन की शक्तियां मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होंगी। अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों की जांच पड़ताल करते समय लोगों को बुलाने तथा रिकॉर्ड इत्यादि को प्रस्तुत करने के लिए आयोग नागरिक न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। देश में सूचना के अधिकार की व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु इन आयोगों को स्थापित करना अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में से एक है।

## दण्डारोपण

8. इस अधिनियम में प्रावधान है कि शिकायत अथवा याचिका पर निर्णय देते समय आयुक्त दोषी सार्वजनिक सूचना अधिकारियों पर 250/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दण्डारोपण कर सकता है, यदि वे बिना किसी उपयुक्त कारण के दोषी पाए जाते हैं। दण्ड की राशि अधिकतम 25,000/- रुपये तक हो सकती है। ऐसा निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

- सूचना के लिए आवेदन को प्राप्त करने के इनकार किया गया हो अथवा
- सुनिश्चित समय अवधि के भीतर सूचना प्रदान न की गई हो अथवा
- बदनीयता से सूचना हेतु आवेदन को नकारा गया हो अथवा
- जानबूझ कर गलत/अधूरी अथवा भ्रामक सूचना दी गई हो अथवा
- उस सूचना को नष्ट कर दिया गया हो जिसके लिए आवेदन किया गया है अथवा
- सूचना प्रदान करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो।

असंदिग्ध मामलों में आयोग दोषी सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की संस्तुति भी कर सकता है।

## नियम बनाने की शक्तियां

9. यह अधिनियम उपयुक्त सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों को अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है।

## अधिनियम के अभिभावी प्रभाव

10. इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तथा किसी अन्य कानून, जो प्रवृत्त हो अथवा किसी अन्य दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी कानून द्वारा प्रभावी हो, में किसी बात के अननुरूप होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

## न्यायालयों का क्षेत्राधिकार रोध

11. अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अनतर्गत दिये गये किसी भी आदेश के सम्बन्ध में कोई भी न्यायालय किसी मुकदमे, आवेदन अथवा अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा तथा ऐसे किसी भी मामले पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा जब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत याचिका दायर न की गई हो।



## अनुश्रवण तथा रिपोर्ट

12. अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

## अध्याय—3

### अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक के पास एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से वह, किसी कारण का उल्लेख किए बिना, किसी भी सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का दरवाजा खटखटा सकता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को सफलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार तथा प्रदेश में अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा नियम अधिसूचित किए गए हैं। “हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत विनियम) नियम, 2006,” 15 जून 2006 को अधिसूचित किए गए, “हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005” 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए तथा “हि.प्र. सूचना का अधिकार नियम, 2006” राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो गए हैं। इन नियमों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख आगामी पैरा में किया गया है।

2. इन नियमों में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सूचना चाहता हो अथवा किसी रिकॉर्ड को देखना चाहता हो, तो वह इस हेतु निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित सार्वजनिक सूचना अधिकारी/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित सूचना अथवा रिकॉर्ड देखने हेतु किसी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. इन नियमों में प्रावधान है कि आवेदक द्वारा प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र देने होंगे। आवेदक द्वारा यदि अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही हो, द्वारा आवेदक को दी जायेगी।

4. नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रदत्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ/पेज को सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी के तिथि युक्त हस्ताक्षरों तथा मोहर द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा और उस पर आवेदक का नाम भी अंकित किया जायेगा।

5. यह नियम दस्तावेज प्रदान करने तथा दस्तावेजों को देखने हेतु निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित करते हैं:-

क्रमांक	सूचना विवरण	कीमत/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन सहित शुल्क	रु0 10/- प्रति आवेदन पत्र
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में अपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर
3	समूल्य प्रकाशनों के अतिरिक्त	ए-4 आकार तथा इससे छोटे आकार के लिए 10/- रूपये प्रति पृष्ठ तथा बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत जो कम से कम रु0 20/- प्रतिपृष्ठ होगी
4	जहां सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान की जानी हो जैसे फ्लैपी, सीडी0 इत्यादि	रु0 50/- प्रति फ्लैपी और रु0 100/- प्रति सीडी0
5	रिकॉर्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए शुल्क	रु0 10/- प्रति 15 मिनट अथवा इसके अंश के लिए

6. शुल्क/प्रभार लेखाशीर्ष "0070-ओ.ए.एस., 60-ओ.एस., 800-ओ.आर., 11-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्ति" के तहत सरकारी खजाने में जमा किए जायेंगे। इन नियमों में एक संशोधन द्वारा सम्बन्धित विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण को देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अदायगी करने की अनुमति दी गई है। इस शीर्ष में जमा धन यन्त्रों तथा उपभोग्य वस्तुओं की खरीद, स्टाफ को प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करने सहित अधिनियम के प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए व्यय किया जायेगा।

7. इन नियमों में सम्बन्धित सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा नामित याचिका दायर करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। याचिका पत्रक में याचिकाकर्ता तथा उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम और पता होना चाहिए जिसके निर्णय के विरुद्ध याचिका दायर की जा रही हो। इसके साथ-साथ उस आदेश का ब्योरा, जिसके विरुद्ध याचिका की जा रही हो तथा संक्षिप्त रूप में तथ्यों का उल्लेख भी किया जायेगा। याचिका यदि अस्वीकृत मान लेने के उलक्ष्य में दायर की जा रही हो तो आवेदन पत्र के मसौदे में

संख्या व तिथि, उस सार्वजनिक सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था, का उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा शामिल किया जाना होगा। याचिकाकर्ता को प्रार्थना अथवा मांगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख करना होगा और साथ में सत्यापन सहित प्रार्थना अथवा राहत हेतु आधार का भी उल्लेख किया जाना होगा।

8. सुनवाई की तिथि पर यदि कोई भी पक्षकार उपस्थित न हो तो याचिका प्राधिकरण अथवा राज्य सूचना आयोग याचिका के गुण दोष के आधार पर एक तरफा निर्णय दे सकता है। याचिका पत्रक में उठाई गई किसी आपत्ति जिसका निराकरण न किया गया हो, के बारे याचिकाकर्ता न तो कोई निवेदन करेगा और न ही उसकी सुनवाई की जायेगी। परन्तु याचिका पर निर्णय देते समय याचिका पत्रक में उल्लिखित आधारों तक ही स्वयं को सीमित रखने के लिए याचिका प्राधिकारी या आयोग बाध्य नहीं होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि राज्य सूचना आयोग अपनी दिन-प्रतिदिन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विनियम बना सकता है।

## अध्याय—4

### अधिनियम का कार्यान्वयन

राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। आयोग ने शिमला स्थित अपने मुख्यालय से प्रथम मार्च, 2006 से कार्य करना आरम्भ किया। इस दिन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ने पद की शपथ ली और कार्यभार ग्रहण किया। राज्य सूचना आयोग के कार्यालय के लिए राज्य सचिवालय के आर्मज़डेल भवन में जगह दी गई है और वर्ष के दौरान राज्य सरकार के सचिवालय प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं भी जुटाई गईं।

2 प्रथम मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सात जिलों में निवास कर रहे आवेदकों से राज्य सूचना आयोग को 20 आवेदन/प्रतिवेदन प्राप्त हुए:—

क्रमांक	जिला	आवेदन/प्रतिवेदनों की संख्या
1	हमीरपुर	3
2	कांगड़ा	4
3	मण्डी	1
4	शिमला	5
5	सोलन	4
6	सिरमौर	2
7	ऊना	1
	<b>कुल</b>	<b>20</b>

ये आवेदन/प्रतिवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों को अग्रेषित किए गए। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा इन सभी प्रतिवेदनों/आवेदनों पर समुचित कारवाई कर ली गई है।

3. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आयोग के सम्मुख कोई याचिका दायर नहीं की गई। इस अवधि के दौरान किसी सार्वजनिक सूचना अधिकारी पर न तो कोई दण्डारोपण हुआ है और न ही किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कोई संस्तुति की गई है।

4. दिनांक 31-3-2006 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अधिनियम के अन्तर्गत 22 सार्वजनिक प्राधिकरणों में 106 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 26 का निपटारा 31 मार्च, 2006 से पूर्व कर लिया गया। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मात्र एक याचिका गृह विभाग में मार्च, 2006 के महीने में प्राप्त हुई जो 31.3.2006 को लम्बित थी। वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के माध्यम से मु. 7344/- रुपये शुल्क के रूप में एकत्रित किए गए। आवेदनों, याचिकाओं तथा एकत्रित किए गए शुल्क इत्यादि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्रमांक	विभाग / सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निर्णयों की संख्या	प्रथम याचिका की संख्या	एस.सी.आई. को संदर्भित याचिकाएं	एकत्रित किया गया शुल्क रु. में
1	लोक निर्माण	3	.	.	.	80.00
2	गृह	7	2	1	.	1100.00
3	कॉर्मिक प्रशासन	3	.	.	.	.
4	कृषि	4	2	.	.	768.00
5	सचिवालय प्रशासन	1	1	.	.	10.00
6	पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड	1	.	.	.	10.00
7	पंजियक सहकारी सभाएं	3	1	.	.	210.00
8	उद्योग	14	6	.	.	1660.00
9	लोकायुक्त एवं मानवाधिकार आयोग	2	.	.	.	20.00
10	लोक सेवा आयोग	14	8	.	.	90.00
11	ग्रामीण विकास	1	.	.	.	.
12	सैनिक कल्याण	1	.	.	.	164.00

13	जनजातीय विकास	13	.	.	.	1806.00
14	व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण (टी.ई.) सुन्दरनगर	1	1	.	.	.
15	आवास एवं शहरी विकास	7	.	.	.	20.00
16	आयुक्त ऊना	2	2	.	.	.
17	राजस्व विभाग	16	1	.	.	795.00
18	आयुर्वेद	1	1	.	.	.
19	उपायुक्त सोलन	3	.	.	.	155.00
20	शहर एवं नगर आयोजन	5	.	.	.	378.00
21	योजना विभाग	1	.	.	.	.
22	एच. पी. एस. ई. बी.	3	1	.	.	80.00
	<b>कुल</b>	<b>106</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	.	<b>7344.00</b>

5. अधिनियम की धारा 4(1)(बी.) के प्रावधान के अनुरूप इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिनों के भीतर यानि 12 अक्टूबर, 2005 तक प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अपने कार्य के विभिन्न पहलुओं बारे ऐच्छिक प्रकटीकरण किया जाना आपेक्षित था। लेकिन वित्त वर्ष की समाप्ति तक केवल 24 सार्वजनिक प्राधिकरण ही ऐसा प्रकटीकरण कर पाये। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियम की इस धारा के अनुरूप प्रकटीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहे थे। दिनांक 31.3.2006 तक इस धारा के अन्तर्गत ऐच्छिक प्रकटीकरण करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम	प्रकटीकरण तिथि
1	हि. प्र. सचिवालय (सचिवालय प्रशासन)	07.10.2005
2	हि. प्र. सचिवालय (सामान्य प्रशासन)	11.10.2005
3	अतिथ्य एवं नयाचार विभाग	11.10.2005
4	सैनिक कल्याण विभाग	11.10.2005
5	अग्नि शमन सेवा विभाग	09.12.2005

6	राज्य सहकारी सभाएं विभाग	26.11.2005
7	मत्स्य पालन विभाग	29.10.2005
8	पशुपालन विभाग	06.12.2005
9	उद्यान विभाग	31.03.2006
10	शहर एवं नगर आयोजन विभाग	16.01.2006
11	जनजातीय विकास विभाग	06.10.2005
12	अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग	19.10.2005
13	आरम्भिक शिक्षा विभाग	07.10.2005
14	उच्च शिक्षा विभाग	07.10.2005
15	विद्युत निरीक्षालय	17.12.2005
16	हि. प्र. प्रशासनिक अधिकरण	07.02.2006
17	हि. प्र. अपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग	26.10.2005
18	हि. प्र. विद्युत नियामक आयोग	08.11.2005
19	हि. प्र. ऊन प्रापण एवं विपणन सहकारी संघ (सीमित)	22.12.2005
20	हि. प्र. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ	07.02.2006
21	मण्डलायुक्त शिमला	11.10.2005
22	मण्डलायुक्त मण्डी	10.02.2006
23	मण्डलायुक्त कांगड़ा	18.11.2005
24	उपायुक्त शिमला	30.12.2005

6. अधिनियम की धारा 5 तथा 19 के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के लागू होने से 100 दिनों के भीतर सार्वजनिक सूचना अधिकारियों, सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों तथा याचिका प्राधिकारियों को नामित किया जाना अपेक्षित था। सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष समाप्ति से पूर्व 64 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पी.आई.ओ., ए.पी.आई.ओ. तथा याचिका प्राधिकारी नामित कर दिये गए थे। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. तथा याचिका प्राधिकारियों को



पदनामित करने हेतु प्रक्रियारत थे। वर्ष समाप्ति से पूर्व पी.आई.ओ., ए.पी.आई.ओ. तथा याचिका प्राधिकारी पदनामित करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम	पदनामन तिथि
1	राज्यपाल सचिवालय	06.12.2005
2	हि. प्र. सचिवालय (लोक निर्माण)	11.10.2005
3	हि.प्र. सचिवालय (राजस्व)	06.10.2005
4	हि.प्र. सचिवालय (सचिवालय प्रशासन)	07.10.2005
5	हि.प्र. सचिवालय (सामान्य प्रशासन)	11.10.2005
6	हि.प्र. सचिवालय (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	07.10.2005
7	आतिथ्य एवं नयाचार विभाग	06.10.2005
8	महाधिवक्ता कार्यालय	24.10.2005
9	आबकारी एवं कराधान विभाग	03.11.2005
10	खाद्य एवं आपूर्ति	24.10.2005
11	शहरी विकास विभाग	29.09.2005
12	पशुपालन विभाग	06.12.2005
13	मत्स्य पालन विभाग	28.09.2005
14	उद्यान विभाग	04.10.2005
15	वन विभाग	20.12.2005
16	वन विभाग (सी.सी.एफ. वन्यप्राणी)	20.03.2006
17	पंचायती राज विभाग	26.11.2005
18	शहर एवं नगर आयोजन विभाग	07.11.2005
19	युवा सेवाएं एवं खेल विभाग	10.11.2005
20	निर्वाचन विभाग	31.10.2005
21	राजस्व विभाग	06.10.2005
22	भारतीय औषधि पद्धति विभाग	15.10.2005
23	शिक्षा विभाग	07.10.2005
24	तकनीकी शिक्षा विभाग	31.10.2005
25	आरम्भिक शिक्षा विभाग	07.10.2005

क्रमांक	सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम	पदनामन तिथि
26	अग्नि शमन सेवा विभाग	09.12.2005
27	सहकारी सभाएं विभाग	03.10.2005
28	अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग	26.09.2005
29	जनजातीय विकास विभाग	06.10.2005
30	लोक निर्माण विभाग	28.09.2005
31	हिमऊर्जा	29.10.2005
32	बन्दोबस्त कार्यालय	07.10.2005
33	जिला गेज़टियर	06.12.2005
34	विद्युत निरीक्षणालय	17.11.2005
35	प्रवर्तन विभाग	21.11.2005
36	सतर्कता विभाग	01.10.2005
37	जेल एवं कारागार विभाग	24.10.2005
38	अभियोजन निदेशालय	27.09.2005
39	लघु बचत निदेशालय	01.10.2005
40	भू-अभिलेख विभाग	08.02.2006
41	पर्वतारोहण निदेशालय	23.12.2005
42	हि. प्र. लोक सेवा आयोग	19.01.2006
43	हि. प्र. प्रशासनिक अधिकरण	04.02.2006
44	हि. प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग	08.11.2005
45	हि. प्र. राज्य महिला आयोग	17.12.2005
46	हि. प्र. उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग	17.12.2005
47	हि. प्र. राज्य विद्युत बोर्ड	26.09.2005
48	हि. प्र. कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड	07.12.2005
49	हि. प्र. एस. एस. एस. बोर्ड	09.11.2005
50	एच. पी. एम. सी.	27.09.2005
51	हिमाचल पथ परिवहन निगम	05.12.2005
52	हि. प्र. एस. सी. व एस. टी. विकास निगम	31.10.2005
53	हि. प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	07.10.2005
54	हि. प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	27.12.2005

क्रमांक	सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम	पदनामन तिथि
55	हि. प्र. कृषि उद्योग निगम	29.10.2005
56	हि. प्र. दुग्ध सहकारी संघ	07.02.2006
57	हि. प्र. ऊन संघ, शिमला	22.12.2005
58	हि. प्र. विश्व विद्यालय शिमला	15.10.2005
59	डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं बानिकी विश्वविद्यालय	03.03.2006
60	सी. एस. के. हि. प्र. कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	09.02.2006
61	उपायुक्त शिमला	30.12.2005
62	उपायुक्त मण्डी	13.10.2005
63	उपायुक्त कांगड़ा	11.10.2005
64	उपायुक्त हमीरपुर	20.03.2006

7. अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में प्रावधानित है कि वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप राज्य सरकार :-

- (क) जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा विकास करेगी, विशेषकर अभावग्रस्त समुदायों में इस अधिनियम के अन्तर्गत आपेक्षित अधिकारों के प्रयोग के प्रति जागरूकता लाने हेतु।
- (ख) खण्ड (क) में उल्लिखित कार्यक्रम आयोजन एवं विकास में सार्वजनिक प्राधिकरणों की सहभागिता तथा ऐसे कार्यक्रमों को उन्हें स्वयं आयोजित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (ग) सार्वजनिक प्राधिकरणों की गतिविधियों सम्बन्धी सही सूचना के प्रभावी तथा समय पर प्रसार हेतु प्रोत्साहित करना, तथा
- (घ) सार्वजनिक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करना तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री तैयार किया जाना।

8. इस अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा 31-3-2006 तक पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रथम दिसम्बर, 2005 को राज्य सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। फिर भी, अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा और कार्रवाई की जानी है, विशेषकर इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित अधिकार को प्रयोग करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रयोग करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

## अध्याय -5

### प्रेक्षण एवं संस्तुतियां

इस रिपोर्ट में पहले भी उल्लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्टूबर, 2005 से लागू हो गया है। लेकिन इस अधिनियम के कुछ उपबन्ध, जिनमें नियम बनाने की शक्तियाँ भी शामिल हैं, 15 जून, 2005 से लागू हो गए थे। परिणाम स्वरूप राज्य सरकार और दूसरे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए, अधिनियम के अधिन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियमों को अधिसूचित किया गया। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया तथा हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियम) नियम, 2006, 15 जून, 2006 को अधिसूचित किया गया। राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया जिसने प्रथम मार्च, 2006 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन कुछेक ही आवेदन दायर हुए। इस अधिनियम के अन्तर्गत देय शुल्क दर निर्धारण सम्बन्धी नियमों को विलम्ब से अधिसूचित करना इसका एक कारण रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कम संख्या में दायर हुए आवेदनों का दूसरा कारण अधिनियम के उपबन्धों के पर्याप्त प्रचार-प्रसार की कमी हो सकती है।

2. राज्य सूचना आयोग ने पाया है कि पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. में अधिनियम और नियमों के उपबन्धों बारे जागरूकता की कमी के कारण कुछेक मामलों में आवेदकों को सूचना देने में विलम्ब हुआ है। वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने अधिनियम और नियमों के विभिन्न उपबन्धों बारे पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. को जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथापि राज्य के पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. के एक छोटे से प्रतिशत को ही इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जा सका। राज्य में पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारियों की बड़ी संख्या के दृष्टिगत वित्त वर्ष 2006-07 की समाप्ति से पूर्व इन सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं पर्याप्त नहीं होगी। अतः यह आवश्यक होगा कि राज्य की अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं को भी इन अधिकारियों को अधिनियम तथा नियमों बारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम में जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत

विभिन्न उपबन्धों बारे सामान्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशेषतः पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक प्रशिक्षण सत्र इस अधिनियम तथा नियमों के लिए रखा जा सकता है। ऐसा करने से पी.आर.आई. तथा यू.एल.बी. के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य की आम जनता में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा इसके अन्तर्गत नियमों बारे जागरूकता पैदा करने की प्रत्याशा है। लेकिन पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान सहित इन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना मुश्किल होगा इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को धन प्रदान करें ताकि पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और ये अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर अधिनियमों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो सके।

3. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम की धारा 5 तथा 19 के अधीन पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ./अपिल प्राधिकारियों को पदनामित करने सम्बन्धी कार्य निष्पादन किसी हद तक सन्तोषजनक रहा है। परन्तु अधिनियम की धारा 4 (1) बी के अन्तर्गत स्वैच्छिक प्रकटीकरण सम्बन्धी प्रावधान का कार्य निष्पादन बहुत सन्तोषजनक नहीं रहा इसलिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठा कर यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि चालु वर्ष अर्थात् 31.03.2007 से पूर्व अद्यतन स्वैच्छिक प्रकटीकरण सम्बन्धी कार्य पूरा कर लिया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पी.आई.ओ./ए. पी.आई.ओ. तथा अपील प्राधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में पदनामित कर दिया गया है।

4. आयोग के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पदनामित पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. की सूची सार्वजनिक प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए आवेदकों को अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र दायर करने के लिए इन प्राधिकरणों के जिला स्तरीय कार्यालयों और कभी-कभी राज्य सूचना आयुक्त के कार्यालयों से पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. के नाम व पता करने के लिए सम्पर्क करना पड़ता है। अतः सार्वजनिक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में

पदनामित पी.आई.ओ./ए.पी.आई.ओ. के बारे पूरा विवरण उपलब्ध हो। जिन विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों का जनता के साथ ज्यादा सम्पर्क रहता है वे यह सुनिश्चित करें कि जिला से सम्बन्धित यह विवरण जिला स्तरीय कार्यालय में सूचना पट पर उपलब्ध रहे।

5. आयोग के ध्यान में यह भी लाया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से खजाने में जमा करवाना कठिन है और इसमें समय भी नष्ट होता है। अतः सरकार द्वारा शुल्क को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाने के आदेश जारी कर इसका समाधान करने के प्रयास किया गया है। फिर भी आवेदकों द्वारा प्राधिकरणों से 10/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाने हेतु भारी लागत बारे मुद्दा उठाया जा रहा है। इसलिए सरकार शुल्क की अदायगी नकदी अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करने पर विचार करें। राज्य सरकार यह भी विचार करे कि उन विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों जिनके क्षेत्रीय कार्यालयों में आहरण एवं वितरण अधिकारी नहीं है उन से सम्बन्धित खजाना चालानों पर अन्य विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों के आहरण – वितरण अधिकारी हस्ताक्षर कर सकें। ऐसा करने से आवेदकों विशेष कर जो दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं को राहत मिलेगी।

6. अधिसूचित नियमों के अन्तर्गत रिकार्ड/दस्तावेज को देखने के लिए दस रुपये प्रति पंद्रह मिनट अथवा इस की अंश की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में जनता से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं कि यह शुल्क विशेषतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के मुकाबले अधिक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रिकार्ड/दस्तावेज को देखने की दर 40/- रुपये प्रति घण्टा बनती है जबकि भारत सरकार द्वारा 5/- रुपये लिए जा रहे हैं। एक सार्थक निरीक्षण के दृष्टिगत इस प्रावधान को सशोधित करने हेतु पर्याप्त औचित्य प्रतीत होता है। इसलिए यह संस्तुति की जाती है कि निरीक्षण की अवधि को बढ़ा कर कम से कम 30 मिनट अथवा इसका अंश कर दिया जाए जो वर्तमान नियमों में 15 मिनट अथवा इस का अंश है।

7. अधिनियम की धारा 4 (1)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण—

- रिकार्ड को विषय सूचि सहित सूचिवद्ध करे ताकि अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार आसान हो सके तथा
- यह सुनिश्चित करे कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकृत करने योग्य हो तथा उपयुक्त समयावधि एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कम्प्यूटरीकृत किया जाए तथा पुरे देश में विभिन्न पद्धतियों से नेटवर्क से जुड़े हों, ताकि ऐसे रिकार्ड बारे सुविधापूर्वक सूचना प्राप्त की जा सके।

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत सार्वजनिक प्राधिकरणों में वर्तमान रिकार्ड प्रबन्धन पद्धति को तथा विभिन्न प्रकार के रिकार्ड को संजोय रखने सम्बन्धी अनुसूची (शडयूल) तथा सूचिकरण एवं पृष्ठांकन पद्धति की समीक्षा की जानी आवश्यक हो जाती है। इस से रिकार्ड प्रबन्धन, विशेषकर इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड तैयार करने तथा उसे नष्ट करने सम्बन्धी वैध रूप रेखा में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत देश के नागरिकों द्वारा सूचना तक पहुंचने हेतु अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन में रिकार्ड के उपयुक्त सूचिकरण तथा पृष्ठांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए राज्य सरकार कम्प्यूटरीकरण योग्य रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने तथा चरणवद्ध पद्धती से एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे राज्य में नेटवर्क पर उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त धन प्रदान करने सहित आवश्यक कदम उठाएगी।

8. सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग तथा राज्य सूचना आयोग को सावधिक सूचियां तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। इन सूचियों तथा रिपोर्टों को यथा समय प्रस्तुत करने के दृष्टिगत सार्वजनिक प्राधिकरण अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात पीआई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. से एक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एकत्रित करता है। ऐसा करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के मुख्यालय पर किसी एक नोडल अधिकारी को यह कार्य सौंपा जाना आवश्यक होगा। नोडल अधिकारी पदनामित करने वाली संस्था को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी पी.आई.ओ. अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही हेतु एक ही प्रक्रिया अपनाएंगे। यह भी आशा की जाती है कि ऐसा करने से सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रशासनिक विभाग सुधार विभाग (आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के लिए नोडल विभाग) तथा राज्य सूचना आयोग के मध्य बेहतर ताल-मेल



सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसलिए यह उचित होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक प्राधिकरण मुख्यालय पर एक अधिकारी को नोडल अधिकारी पदनामित करे। जिन विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों में ज्यादा मात्रा में पी.आई.ओ. तथा ए.पी.आई.ओ. होते हैं उनके सम्बंधित नोडल अधिकारी की सहायता के लिए विभागों/सार्वजनिक प्राधिकरणों के मुख्यालय पर एक अनुभाग अथवा कक्ष (Cell) का भी गठन किया जाए।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-26 की उप-धारा (1) द्वारा आम जनता में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रचार-प्रसार का दायित्व सरकार पर डाला गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह जनता में विशेषकर अभावग्रस्त समुदायों में अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित अधिकार को प्रयोग करने सम्बन्धि जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा विकास करें। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनकी गतिविधियों द्वारा सही सूचना के प्रभावी तथा समय पर प्रसार को प्रोत्साहित करें। सभी सार्वजनिक अधिकारियों को समयबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए यह संस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 26 के उपरोक्त प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु एक समय व कार्य योजना तैयार करें तथा उस पर अमल करे।